झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक अपील (डी.बी) संख्या 1819 / 2017

(04.08.2017 को पारित दोषी निर्णय और **07.08.2017** को पारित सजा का आदेश**,** द्वारा अधिज्ञा न्यायायुक्त-**VIII,** रांची में सत्र परीक्षण संख्या **186/2013/**ट्रायल संख्या **94/2016)**

छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह, पुत्र लोधा सिंह, निवासी ग्राम-उलगाड़ा, डाकघर+थाना-लापुंग**,** जिला रांची।

... ... अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य **... ...प्रतिवादी**

साथ

आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1707 / 2017

राजेश गोप, पुत्र स्वर्गीय नंद लाल गोप, निवासी गांव-चालंगी, पोस्ट ऑफिस-महोगांव, थाना-लापुंग, जिला-रांची, झारखंड

... ... अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

... ...प्रतिवादी

अपीलकर्ता की ओर से	:श्री गोपाल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता [Cr. A.1819/2017] :श्रीमती प्रगति प्रसाद, न्याय मित्र [Cr. A.1707/2017]
राज्य की ओर से प्रतिनिधि	:श्री पंकज कुमार मिश्रा, एपीपी [Cr. A.1819/2017] श्रीमती लिली सहाय, एपीपी [Cr. A.1707/2017]

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्रीमान. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

C.A.V 18.03.2024 **घोषित दिनांक 25/04/2024**

सुजीत नारायण प्रसाद, जे.

1. ये दोनों अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-VIII, रांची द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 186/2013/ट्र. संख्या 94/2016 में पारित दिनांक 04.08.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 07.08.2017 के सजा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए/26 सहपठित 35 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया तथा दोषी ठहराया गया। अपीलकर्ता छोटू सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। सजा के

बिंदु पर सुनवाई के बाद अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

साथ ही अपीलकर्ताओं को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए/26 सहपठित धारा 35 के तहत डेढ़ वर्ष सश्रम कारावास तथा प्रत्येक धारा में 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। साथ ही अपीलकर्ता छोटू सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन का मामला सूचक गोपाल सिंह के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 17.11.2012 को अपराह्न 3.00 बजे वह अपने चचेरे भाई राजेश सिंह के साथ मोटरसाइकिल से गोविंदपुर साप्ताहिक बाजार गया था। उसके पिता बालेश्वर सिंह (मृतक) भी अपनी साइकिल से गोविंदपुर साप्ताहिक बाजार सब्जी लाने गए थे। उन्होंने अपने पिता को अपराह्न 4.30 बजे जिया डिजिटल स्टूडियो के पास देखा। कुछ देर बाद वह अपने चचेरे भाई के साथ अपने घर वापस आ गया और रास्ते में 5.00 बजे उसने देखा कि राजेश गोप और छोटू सिंह (अभियुक्त) उलगड़ा बड़ा पूल (पुल) से कुछ दूरी पर खड़े थे। छोटू सिंह ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी तो छोटू सिंह उसके पास आया

3. इसके बाद छोटू सिंह ने उससे कहा कि वह उनके साथ नहीं जाएगा, वह राजेश गोप के साथ आएगा तथा ईंट का बकाया पैसा मांगा। उसने छोटू सिंह को कहा कि घर आकर पैसा ले लो तथा गोविंदपुर के साप्ताहिक बाजार से लौटने के बाद वह अपने चचेरे भाई राजेश सिंह के साथ अपने चाचा लखन सिंह के माध्यम से सूचना प्राप्त किया कि छोटू सिंह और राजेश गोप उसके पिता की हत्या कर पतरा टोली के रास्ते पक्की रोड में भाग रहे हैं तथा सूचना मिलने के बाद वह अपने भाई अवधेश सिंह और गुरुवा सिंह के साथ मोटरसाइकिल से पतरा टोली के रास्ते पर गया और वहां पहुंचा तो देखा कि उसके पिता के बाएं कनपटी पर गोली लगने से मृत पड़े थे तथा अभियुक्त छोटू सिंह और राजेश

गोप पतरा टोली के खेत में भाग रहे थे तभी सूचक और उसके भाई ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वे वहां से भागने में सफल रहे। उसने आगे दावा किया कि पुरानी दुश्मनी के कारण छोटू सिंह और राजेश गोप ने उसके पिता की हत्या कर दी

4. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर लापुंग थाना कांड संख्या 45/2012 दिनांक 17.11.2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)/26/27/35 के तहत छोटू सिंह एवं राजेश गोप के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

5. जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए/26/27/35 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

6. कथित अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

7. आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् छोटू सिंह और राजेश गोप के विरुद्ध आरोप तय किए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

8. अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल नौ अभियोजन गवाहों से पूछताछ की, जिनके नाम हैं, पी.डब्लू.1 गोपाल सिंह, पी.डब्लू.2 राजीव कुमार, पी.डब्लू.3 लखन सिंह, पी.डब्लू.4 संतोष कुमार सिंह, पी.डब्लू.5 डॉ. मनोज कुमार कोरह, पी.डब्लू.6 राजेश कुमार सिंह, पी.डब्लू.7 पवन कुमार सिंह, पी.डब्लू.8 अन्द्रियास माल्टो और पी.डब्लू.9 नाग नारायण सिंह।

9. अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया है कि फर्दबयान पर सूचक पीडब्लू 1 का हस्ताक्षर एक्सटेंशन-1, फर्दबयान पर पीडब्लू 7 का हस्ताक्षर एक्सटेंशन-1/1, फर्दबयान पर सुधीर कुमार चौधरी का समर्थन एक्सटेंशन-1/2, बैलिस्टिक रिपोर्ट पर पीडब्लू 2 राजीव कुमार का हस्ताक्षर एक्सटेंशन-2, सुधीर कुमार चौधरी द्वारा तैयार जब्ती सूची एक्सटेंशन-3/1, जब्ती सूची पर पी.डब्लू 6 का हस्ताक्षर एक्सटेंशन-3/2, पी.डब्लू 6 का हस्ताक्षर प्रदर्श-3/3, जब्ती सूची एक्सटेंशन-3/4 और 3/5, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सटेंशन-

4, प्रथम सूचना रिपोर्ट एक्सटेंशन-5, अभियुक्तों के गिरफ्तारी ज्ञापन को एक्सटेंशन-6 और 6/1 के रूप में अंकित किया गया है। अभियुक्त राजेश गोप के इकबालिया बयान को एक्सटेंशन-7 और छोटू सिंह के इकबालिया बयान को एक्सटेंशन-7/1 के रूप में अंकित किया गया है।

10. आरोपी व्यक्तियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों से इनकार किया।

11. अभियुक्तगण की ओर से एक गवाह शिवनंदन सिंह उर्फ सीटू सिंह (डीडब्लू-1) से भी पूछताछ की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में थाना संख्या 140/1988 के वाद पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत की गई, जिस पर पहचान के लिए X का निशान लगाया गया था।

12. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाया।

13. तदनुसार, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए/26 सहपठित 35 के तहत दोषी पाया गया है और अपीलकर्ता छोटू सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके तहत दिनांक 04.08.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 07.08.2017 के सजा आदेश के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई है, जो कि तत्काल अपील का विषय है।

14. अपीलकर्ता, अर्थात् छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह के विद्वान वकील श्री गोपाल कुमार सिन्हा ने दोषसिद्धि के आदेश का विरोध करते हुए निम्नलिखित आधार रखे हैं: -

(i) दोषसिद्धि पी.डब्लू.-3 की एकमात्र गवाही पर आधारित है, जिसे कथित अपराध को प्रमाणित करने के लिए विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए

पी.डब्लू.-3 की गवाही को अन्य गवाहों द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान मामले में उक्त पुष्टीकरण अनुपस्थित है।

(ii) पी.डब्लू.3 की गवाही में इस आशय का विरोधाभास है कि मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि दोषी छोटू सिंह ने मृतक पर सिर के पीछे से गोली मारकर हमला किया था, जबकि जिरह में यह सामने आया है कि गोली सामने से लगी थी, जिसे पी.डब्लू.3 की गवाही में मुख्य विरोधाभास माना जाता है और इसलिए, चूंकि दोषसिद्धि पी.डब्लू.3 की एकमात्र गवाही पर आधारित है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे आरोप को सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

(iii) अपराध के समय को लेकर भी विरोधाभास है।

(iv) गवाहों के बयान में यह भी आया है कि मृतक का अपीलकर्ता छोटू सिंह के साथ भूमि विवाद के कारण शत्रुतापूर्ण संबंध था और केवल उक्त उद्देश्य के लिए झूठे आरोप की संभावना है और मामले के इस दृष्टिकोण से, संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

(v) जहां तक चोट की प्रकृति का सवाल है, पी.डब्लू.-3 की गवाही भी डॉक्टर की गवाही से पुष्ट नहीं हुई है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इन आधारों पर दलील दी है कि दोषसिद्धि के फैसले को रद्द करके और अलग रखकर तत्काल अपील स्वीकार की जा सकती है।

16. अपीलकर्ता राजेश गोप की ओर से विद्वान न्यायमित्र श्रीमती प्रगति प्रसाद ने उपरोक्त आधार के अतिरिक्त निम्नलिखित आधार भी लिए हैं: -

(i) यदि पी.डब्लू.3 की गवाही को समग्रता में ध्यान में लिया जाए, तब भी जहां तक अपीलकर्ता, अर्थात् राजेश गोप का संबंध है, दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं कही जा

सकती, क्योंकि पी.डब्लू.3 ने वर्तमान अपीलकर्ता का नाम नहीं बताया है, बल्कि उसने कहा है कि अपीलकर्ता छोटू सिंह के साथ एक अपराधी को भी भागते हुए दिखाया गया है।

(ii) यह तर्क दिया गया है कि यदि पी.डब्लू.3 को वर्तमान अपीलकर्ता का नाम पता था तो उक्त गवाह के लिए नाम बताने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन नाम लेने के बजाय, उसने यह बयान दिया है कि घटना के समय छोटू सिंह के साथ एक अपराधी भी मौजूद था जिसका नाम राजेश गोप है, जो भाग गया।

(iii) पी.डब्लू.3 ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि राजेश गोप ने गोली नहीं मारी थी।

(iv) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने में गंभीर त्रुटि की कि हत्या करना दोनों अपीलकर्ताओं की मंशा थी और बिना किसी साक्ष्य के ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता राजेश गोप का मृतक की हत्या करने का एक समान इरादा था।

(v) अपराध के पीछे कोई मकसद साबित नहीं हुआ है। (v) यद्यपि हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई गोली का खाली कारतूस बरामद कर लिया गया है, लेकिन उसे विशेषज्ञ के समक्ष जांच के लिए नहीं भेजा गया।

(vi) पुलिस ने खून से सनी मिट्टी और कारतूस सहित पिस्तौल जब्त कर ली, लेकिन उसे फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया, जिससे अभियोजन पक्ष के बयान पर भी संदेह पैदा होता है।

17. इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि के विवादित निर्णय का बचाव किया है: -

(i) दोषसिद्धि पी.डब्लू.-3 की गवाही पर आधारित है, जिसकी पुष्टि अन्य गवाहों की गवाही से हुई है और इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की ओर से यह

गलत है कि अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जो सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

(ii) जहां तक हमले के स्थान के संबंध में पी.डब्लू.-3 की गवाही में विरोधाभास का मुद्दा है, उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि वह पूरे अभियोजन को प्रभावित कर दे, बल्कि पी.डब्लू.-3 की गवाही की पुष्टि डॉक्टर की गवाही से हुई है, इसलिए पी.डब्लू.-3 की गवाही विश्वसनीय है और उसके आधार पर यदि दोषसिद्धि है, तो उसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

(iii) डॉक्टर ने पी.डब्लू.-3 के संस्करण की पूरी तरह से पुष्टि की है।

(iv) अपीलकर्ताओं की ओर से भूमि विवाद का आधार लिया गया है, लेकिन कानून की यह स्थापित स्थिति है कि दुश्मनी दोधारी तलवार है जो पुष्टिकारी साक्ष्य के आधार पर किसी भी ओर जा सकती है।

18. राज्य प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधारों पर यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि दी गई है, जिसमें कोई कमी नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विचाराधीन निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर विचार किया है, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के साथ-साथ निचली अदालत के अभिलेखों में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों पर भी गौर किया है।

20. इस न्यायालय को निम्नलिखित मुद्दों पर जवाब देना आवश्यक है: -

(i) क्या अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को न्यायोचित कहा जा सकता है?

(ii) क्या अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही पर भरोसा करना ट्रायल कोर्ट के लिए सही है?

(iii) अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे विचारणीय है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं ने सामान्य इरादे से अपराध के कारित करने में भाग लिया था या क्या अपीलकर्ता छोटू सिंह, जिसने कथित रूप से मृतक को पिस्तौल से गोली मारी थी, अकेले ही हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी है।

21. चूंकि उपरोक्त सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है और आगे इनका उत्तर दिया जा रहा है। लेकिन उपरोक्त मुद्दों पर विचार करने से पहले, गवाहों की गवाही का संदर्भ लेना आवश्यक है जो इस प्रकार है: -

<u>पी.डब्लू.1 गोपाल सिंह</u> - पी.डब्लू.1 इस कांड का सूचक है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 17.11.2012 को शाम 5 बजे घटित हुई। उस समय वह अपने घर पर था। इसी बीच उसके चाचा लखन सिंह ने आकर बताया कि छोटू सिंह और राजेश गोप ने उसके पिता पर उलगढ़ा गांव के पक्की रोड पर गोली चला दी है। इसके बाद वह अपने भाई अवधेश सिंह और गुड्डवा सिंह के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा तो देखा कि उसके पिता की बायीं कनपटी पर गोली लगी थी और खून बह रहा था। उसने देखा कि छोटू सिंह और राजेश गोप वहां से भाग रहे हैं। उसने उनका पीछा भी किया लेकिन वे झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और उसका बयान दर्ज किया। उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की जो प्रदर्श-1 के रूप में अंकित था। उसने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की भी पहचान की।

जिरह के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि इस मामले के अनुसंधान के दौरान जांच अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। छोटू सिंह उसका सहग्रामीण है तथा उससे कोई दुश्मनी नहीं है। उसने आगे कहा है कि यद्यपि फर्दबयान में छोटू से दुश्मनी होने की बात कही गई है, लेकिन छोटू सिंह से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। उसके चाचा लखन सिंह ने उक्त घटना के बारे में बताया है। इसके बाद वह अपने भाइयों के साथ मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर गया, जो उसके घर से कुछ दूरी पर था। उसने तथा

उसके भाइयों ने घटना नहीं देखी थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो देखा कि वहां बीजू मुंडा, फुल कुमारी तथा धरम सिंह मौजूद थे। उसने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनका पीछा नहीं किया। घटना के 10 मिनट बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। उसने घटनास्थल पर अपना फर्दबयान दिया है। उसने अपीलकर्ताओं का पीछा करने के दौरान पुलिस को सूचना दी है, लेकिन वह नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि नंबर उसके मोबाइल में सेव था। वह यह नहीं बता सकते कि उन्होंने पुलिस को कब सूचना दी थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने इस मामले में झूठी गवाही दी है।

<u>पी.डब्लू-2 राजीव कुमार</u> - इस गवाह ने बयान दिया है कि घटना दिनांक 10/01/2013 को वह पुलिस लाइन में तैनात था। उसी समय लापुंग थाने के एसआई पवन कुमार ने जब्त सामान को जांच के लिए उसके समक्ष लाया। सील खोलने पर एक देशी पिस्तौल, दो .315 कारतूस और एक खाली कारतूस मिला। जांच के बाद उसने पाया कि उक्त पिस्तौल चालू हालत में थी।

<u>पी.डब्लू-</u> 3 लखन सिंह - यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है तथा मृतक का छोटा भाई है। उसने बताया कि घटना दो वर्ष पूर्व शाम 4 बजे की है, जब वह गोविंदपुर बाजार से लौट रहा था। जब वह पतराटोली उलीगढ़ा रोड पर पहुंचा तो देखा कि आरोपी छोटू सिंह ने उसके भाई बालेश्वर सिंह के सिर के पीछे रिवाल्वर से गोली मार दी। जिससे बालेश्वर सिंह वहीं गिर पड़ा तथा उसकी मौत हो गई। छोटू सिंह के साथ राजेश गोप भी था। छोटू सिंह तथा राजेश गोप वहां से भाग गए। इसके बाद वह गांव वालों को सूचना देने गया। गांव वाले आए तथा आरोपियों को हथियार के साथ पकड़कर लापुंग थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। जिरह में इस साक्षी ने बताया कि परिवार में वह अकेला व्यक्ति है जिसने घटना देखी थी। घटना के एक घंटे बाद सूचक तथा उसके भाई आए थे तथा उस समय आरोपी भाग गए थे। पुलिस घटना स्थल पर डेढ़ से दो घंटे बाद आई थी। राजेश गोलीबारी में शामिल नहीं था। उस दिन बाजार का दिन था, लेकिन वह

घटनास्थल पर अकेला व्यक्ति था। उसके घर और घटनास्थल के बीच की दूरी करीब एक किलोमीटर है। उसने खुद घर जाकर परिजनों को सूचना दी थी, उसके बाद गोपाल और उसके भाई आए थे। ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को दूसरे गांव से गिरफ्तार किया गया। मृतक साइकिल से आ रहा था और साइकिल खराब होने के कारण वह पैदल आ रहा था। जब घटना हुई, तब वह घटनास्थल से 100 हाथ दूर था। घटना को कई लोगों ने देखा।

<u>पी.डब्लू.4 डॉ. संतोष कुमार सिंह</u> - यह गवाह जब्ती सूची का गवाह है। इस गवाह ने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है। उसने आगे कहा है कि बंदूक, कारतूस और खून के धब्बे वाली मिट्टी भी उसकी मौजूदगी में जब्त की गई थी। उसकी पहचान पर इसे क्रमशः प्रदर्श-3 और 3/1 के रूप में अंकित किया गया था। जिरह के दौरान उसने कहा है कि उसने थाने के बड़े बाबू के कहने पर जब्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर किया था। उसे पता है कि इस मामले में बंदूक बरामद हुई थी। उक्त बंदूक थाने में दिखाई गई थी और पुलिस ने इस मामले में उसका बयान दर्ज नहीं किया था।

<u>पी.डब्लू.-5 डॉ. मनोज कुमार</u> कोरह - वह डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित बाहरी चोटें पाईं: -

i. औसत कद, पूरे शरीर पर कठोर मोर्टिस मौजूद है, पेट फूला हुआ नहीं है, सिर, चेहरे और कपड़े पर सूखे खून के धब्बे हैं।

ii. बन्दूक की चोट जिसमें प्रवेश का घाव 2 सेमी x 1 सेमी बाएँ चिक के ऊपरी भाग में बाएँ कक्षीय पार्श्व भाग से 3 सेमी नीचे है। प्रवेश द्वार छोटा, फटा हुआ और सीमांत चोटिल है। जलने का क्षेत्र 7 सेमी x 4 सेमी बाएँ चिक के ऊपरी भाग में है। प्रक्षेप्य नरम ऊतक से होकर गुजरता है और बाएं हिस्से के ड्यूरेमेटिकल और ओसीसीपिटल लोब और सेरिबैलम को चीरता हुआ मैक्सिला को तोड़ता है और ओसीसीपिटल हड्डी के बाएं हिस्से को तोड़ता है और दाएं मास्टॉयड प्रक्रिया से 4 सेमी नीचे दाएं ओसीसीपिटल

क्षेत्र से 3 सेमी x 2 सेमी बाहर निकलता है। मस्तिष्क की चोट, मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में रक्त की कमी और रक्त का थक्का जमना। आंतरिक अंग विफल हो गए।

<u>राय -</u>

i. उपर्युक्त आग्नेयास्त्र से हुई चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की हैं,
ii. आग्नेयास्त्र के कारण हुई हैं,
iii. मृत्यु आग्नेयास्त्र की गोली के परिणामस्वरूप सिर में लगी चोट के कारण हुई है।
iv. मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम जांच के समय 12 घंटे से 36 घंटे का समय। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गई है तथा उनके कलम और हस्ताक्षर तथा डॉक्टर अमन कुमार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है जिसे प्रदर्श-4 के रूप में अंकित किया गया है। बचाव पक्ष के वकील ने उक्त गवाह से जिरह करने से इनकार कर दिया है।

<u>पी.डब्लू.6 राजेश कुमार सिंह</u>, जब्ती गवाह होने के साथ-साथ मृतक के पारिवारिक सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा है कि मृतक बालेश्वर सिंह उनके बड़े पिता थे तथा उनकी हत्या दिनांक 17.11.2012 को शाम 6 बजे कर दी गई थी। उसी समय वे गोविंदपुर बाजार से घर पहुंचे थे, तब लखन सिंह ने कहा है कि छोटू सिंह तथा राजेश गोप ने बालेश्वर सिंह पर गोली चलाई थी। इसके बाद वे घटनास्थल पर गए, जहां उन्होंने देखा कि मृतक वहां पड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे वहां से भागने में सफल रहे। घटनास्थल पर पुलिस ने सामान जब्त किया तथा उन्होंने जब्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर किया, जिस पर प्रदर्श-3/1 अंकित है। जब्ती सूची पर उनके दूसरे हस्ताक्षर पर प्रदर्श-3/3 अंकित है। उन्होंने आरोपी छोटू सिंह की पहचान की है तथा राजेश गोप को भी पहचानने का दावा किया है।

जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना के बारे में लखन सिंह से सुना था। जब्ती सूची पर जो लिखा था, उसे उन्होंने नहीं पढ़ा था। इसके अलावा उन्होंने कहा है

कि इस मामले में एक पिस्तौल, तीन कारतूस तथा खाली कारतूस जब्त किया गया था। छोटू सिंह उसका सह-ग्रामीण है, इसलिए उसने उसे पहचान लिया।

<u>पी.डब्लू.7 पवन कुमार सिंह</u> - वे इस केस के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 17.11.2012 को वे सब इंस्पेक्टर के पद पर लापुंग थाने में पदस्थापित थे। उन्हें फोन पर थाना प्रभारी द्वारा घटना की जानकारी मिली। इसके बाद वे सशस्त्र बलों के साथ सरकारी वाहन से घटनास्थल की ओर बढ़े और शाम 6.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि मृतक गोली लगने से घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसके बाद फर्दबयान दर्ज किया और वहीं इस केस के अनुसंधान का प्रभार संभाला। जब प्रभारी थाने लौटे तो उन्होंने केस दर्ज किया। इस साक्षी ने आगे कहा है कि औपचारिक प्राथमिकी चौकीदार-सह-मुंसी अरुण कुमार द्वारा लिखी गई थी, जिस पर सुधीर कुमार चौधरी ने अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे प्रदर्श-5 के रूप में अंकित किया गया था। इस केस का प्रभार संभालने के बाद उन्होंने सूचक का पुनः कथन दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल फतेपुर, महुगांव पिच रोड, पतारा टोली के पास बताया तथा घटनास्थल की सीमा बताई। इसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। उन्होंने खून से सनी मिट्टी भी एकत्र की। उन्होंने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो प्रदर्श-3/4 के रूप में अंकित थी। इसके बाद उन्होंने गवाह राजेश सिंह, लखन सिंह और संतोष सिंह का बयान दर्ज किया। सुबह 8.30 बजे उन्हें सूचना मिली कि आरोपी पतराटोली में देखे गए हैं, इसके बाद वे प्रभारी अधिकारी के साथ वहां गए और उलगारा गांव पहुंचकर दोनों आरोपी राजेश गोप और छोटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गिरफ्तारी मेमो पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो प्रदर्श-6, 6/1 के रूप में अंकित था। अपीलकर्ता के इकबालिया बयान पर उन्होंने .315 बोर के तीन कारतूस बरामद किए, जिसके नीचे 8 एमएम लिखा था और एक लोडेड पिस्तौल भी बरामद किया, जिसे पतराटोली की झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। इसके बाद जब्ती सूची तैयार की गई। उसकी पहचान करने पर उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श-3/5 के रूप में अंकित किया गया।

सभी जब्त सामानों को न्यायालय में लाया गया और उसके बाद जांच के लिए भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पुलिस रिकॉर्ड के अवलोकन से उन्हें पता चला कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और उन्होंने केस डायरी में भी इसका उल्लेख किया है। इसके बाद अपने वरीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन में उन्होंने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। उन्होंने दोनों आरोपियों की पहचान की। उन्होंने रांची के उपायुक्त से स्वीकृति आदेश भी प्राप्त किया। जिरह के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मामले की जांच का प्रभार घटनास्थल पर 19.45 बजे लिया था और प्रभारी अधिकारी द्वारा फर्दबयान की प्रति उन्हें दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने फर्दबयान का अवलोकन किया। फर्दबयान में लखन सिंह ने कहा है कि उन्होंने घटना को देखा है। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि मृतक और छोटू सिंह के बीच जमीन का विवाद है। घटनास्थल सूचक के घर से 500 गज की दूरी पर है। पूरी जांच के दौरान लखन सिंह के अलावा किसी ने घटना को नहीं देखा। उन्होंने खून से सनी मिट्टी और हथियार को एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा है। उनकी मौजूदगी में प्रभारी पदाधिकारी ने पिस्तौल और 315 बोर के कारतूस जब्त किए और इस तथ्य का उल्लेख उन्होंने केस डायरी के कंडिका 33 में किया है। पुलिस अभिरक्षा में इकबालिया बयान दर्ज किया गया। जब्त सामान थाने के मालखाना में रखा गया था लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। उन्होंने जब्त सामान को थाने में सील कर दिया लेकिन इस तथ्य का उल्लेख केस डायरी में नहीं किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने मामले की गलत तरीके से जांच की और इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।

<u>पी.डब्लू-8 एंड्रियास माल्टो</u>- यह गवाह डी.सी ऑफिस का क्लर्क है। इसने अपने साक्ष्य में कहा है कि 31.01.2013 को वह डी.सी ऑफिस में तैनात था। उसी समय प्रशांत कुमार ने कंप्यूटर में स्वीकृति आदेश टाइप किया था जो दो पेज का था। यह स्वीकृति आदेश आरोपी छोटू सिंह और राजेश गोप के खिलाफ है।

<u>पी.डब्लू.-9 नाग नारायण सिंह</u> - वह इस मामले का औपचारिक गवाह है। उसने पुलिस थाना कांड संख्या 45/12 की जब्त सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिरह के दौरान इस गवाह ने कहा है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

22. उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के अलावा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह **डी.डब्लू 1 शिवनंदन सिंह** को भी पेश किया गया है। उसने बयान दिया है कि आरोपी छोटू सिंह उसका भतीजा है। सूचक के परिवार और आरोपी के पिता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसके समर्थन में उसने टाइटल सूट संख्या 140/1988 की फोटोकॉपी पेश की है जिसे पहचान के लिए प्रदर्श-एक्स के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा उसने यह भी बयान दिया है कि उपरोक्त भूमि विवाद के कारण आरोपी छोटू सिंह को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

23. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विचारणीय निर्णय में विचारणीय न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर विचार किया है, तथा विचारणीय न्यायालय के अभिलेखों में उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर विचार किया है।

24. प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मुखबिर के पिता बालेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रमाणित हुआ है। अतः यह स्थापित हो जाता है कि बालेश्वर सिंह की हत्या की गई थी तथा पी.डब्लू.-3 के अलावा किसी ने भी कथित अपराध को घटित होते नहीं देखा।

25. अब हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर आते हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया है कि दोषसिद्धि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्लू.-3 की गवाही पर आधारित है, जिसे अभियोजन पक्ष के मामले को पुष्ट करने के लिए विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पी.डब्लू.-3 की गवाही को उसकी गवाही की पुष्टि करने के लिए अन्य गवाहों द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है, लेकिन अन्य गवाहों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

26. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि गवाहों की गवाही में विशेष रूप से मृतक की हत्या के समय के संबंध में बड़ा विरोधाभास है।

27. उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में अधिकांश गवाह आपस में संबंधित गवाह हैं तथा किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष का मामला टिकने लायक नहीं है।

28. इसके अलावा, अपीलकर्ता राजेश गोप के विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया है कि मृतक की हत्या के संबंध में अपीलकर्ताओं के बीच कोई सामान्य इरादा नहीं है और, इस तरह, अपीलकर्ता राजेश गोप को आईपीसी की धारा 34 का सहारा लेकर आईपीसी की धारा 302 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और घटनास्थल पर किसी की उपस्थिति मात्र से उसे कथित अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

29. विद्वान न्यायमित्र ने आगे तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में, किसी भी पूर्व विचार-विमर्श का कोई सबूत नहीं है, और कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि अपीलकर्ता राजेश गोप किसी भी स्पष्ट या गुप्त कार्य में लिप्त था, जिसके आधार पर सामान्य इरादे का कोई अनुमान लगाया जा सके।

30. उपर्युक्त संदर्भ में यह न्यायालय एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य मूल्य पर चर्चा करना उचित समझता है। कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि दोषसिद्धि का फैसला एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर पारित किया जा सकता है लेकिन उक्त गवाह की गवाही विश्वसनीय होनी चाहिए और अदालत के मन में विश्वास पैदा करनी चाहिए।

31. इस संबंध में संदर्भ **बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 12 एससीसी 91** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार लिया जा सकता है, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 30 से 34 को नीचे इस प्रकार संदर्भित किया जा रहा है:-

"30. श्री बग्गा ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सुजीत मंडल, पी.डब्लू 1 की एकमात्र गवाही थी, और बाकी यानी पी.डब्लू 2 से पी.डब्लू 8 के बयानों को केवल अफवाह के रूप में माना जा सकता है

31. सुनील कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)10 में इस न्यायालय ने इसी तरह की दलील को खारिज करते हुए कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 371, पैरा 9)

> "9. ... एक सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एक गवाह की गवाही पर कार्रवाई कर सकता है और कर सकता है बशर्ते वह पूरी तरह विश्वसनीय हो। एक गवाह की गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क है। लेकिन, अगर गवाही पर संदेह है तो अदालतें पुष्टि पर जोर देंगी।" वास्तव में, संख्या या मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। समय-सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए न कि गिना जाना चाहिए।

32. नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय ने इसी तरह के विचार को दोहराया और कहा कि किसी तथ्य को साबित करने या उसे गलत साबित करने के लिए साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता जरूरी है। कानूनी प्रणाली ने गवाहों की संख्या, बहुलता या बहुलता के बजाय साक्ष्य के मूल्य, वजन और गुणवत्ता पर जोर दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से खुला है कि वह एक अकेले गवाह पर पूरी तरह से भरोसा करे और दोषसिद्धि दर्ज करे। इसके विपरीत, यदि वह साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट नहीं है तो वह कई गवाहों की गवाही के बावजूद आरोपी को बरी कर सकता है।

33. **कुंजू बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, जगदीश प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य** सहित इस न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए इसी प्रकार का दृष्टिकोण दोहराया गया है।

34. इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, श्री बग्गा द्वारा दिया गया यह स्पष्ट तर्क कि एक अकेले प्रत्यक्षदर्शी के मामले में कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, कोई बल नहीं रखता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

32. इसी प्रकार, माननीय **सर्वोच्च न्यायालय ने कुरिया एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2012) 10 एससीसी 433** के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

" 33. -न्यायालय ने यह सिद्धांत बताया है कि, एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर कार्रवाई कर सकता है और कर सकता है बशर्ते कि वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो और ऐसे एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का आधार हो। किसी व्यक्ति को एक गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।"

33. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कालू उर्फ़ अमित बनाम हरियाणा राज्य, (2012) 8 एससीसी 34** के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

"11. हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं दिखती है, जिसने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण की सही पुष्टि की है। यह सच है कि अभियुक्त शिकायतकर्ता पीडब्लू 4 करमबीर यादव को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन पीडब्लू 5 राम चंद्र यादव के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को पुष्ट करते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दोषसिद्धि केवल एक प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास पैदा करता है। इस गवाह ने घटना का सावधानीपूर्वक वर्णन किया है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। हम उसे एक विश्वसनीय गवाह पाते हैं।"

34. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शीलम रमेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1999) 8 एससीसी 369** के पैरा में

> "18 ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:- "18. अभियुक्त अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, हालांकि पी.डब्लू. 3 ने यह बयान दिया है कि घटना के समय 10-15 व्यक्ति आस-पास मौजूद थे, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि घटना का कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी था। सभी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद, भले ही आस-पास मौजूद अन्य व्यक्तियों से पूछताछ न की गई हो, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालयों का संबंध साक्ष्य की गुणवत्ता से होता है, न कि मात्रा से और आपराधिक मुकदमे में, यदि किसी गवाह के साक्ष्य से विश्वास पैदा होता है तो दोषसिद्धि केवल उसके साक्ष्य के आधार पर हो सकती है।"

35. इस मोड़ पर, यह न्यायालय उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में गवाहों, विशेष रूप से एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर पुनः विचार करना उचित समझता है।

36. चश्मदीद गवाह पी.डब्लू.-3 ने बताया कि जब वह गोविंदपुर बाजार से लौट रहा था, तो उसने देखा कि आरोपी/अपीलकर्ता छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह (सीआर. अपील (डी.बी.) संख्या 1819/2017 में अपीलकर्ता) ने अपने भाई बालेश्वर सिंह (मृतक) के सिर के पिछले हिस्से पर रिवॉल्वर से नजदीक से गोली मार दी। इसके परिणामस्वरूप बालेश्वर सिंह वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। छोटू सिंह के साथ राजेश गोप भी था और उसके बाद छोटू सिंह और राजेश गोप घटनास्थल से भाग गए।

37. अपने जिरह में इस गवाह ने कहा है कि वह परिवार का एकमात्र व्यक्ति है जिसने घटना देखी थी। मुखबिर और उसके भाई घटना स्थल पर एक घंटे बाद पहुंचे और तब तक आरोपी व्यक्ति भाग चुके थे। उन्होंने आगे गवाही दी कि राजेश गोप (सीआर. अपील (डीबी) संख्या 1707/2017 में अपीलकर्ता) गोलीबारी में शामिल नहीं था।

38. इस प्रकार, पी.डब्लू.3 की गवाही से यह स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी छोटू सिंह को देखा था जब वह अपने भाई बालेश्वर सिंह (मृतक) के सिर के पीछे रिवाल्वर से गोली चला रहा था और साथ ही इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अभियुक्त राजेश गोप गोलीबारी में शामिल नहीं था।

39. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आते हैं कि डॉक्टर, पीडब्लू-5, को बन्दूक की चोट मिली है जिसमें 2 सेमी x 1 सेमी बायीं चूजे के ऊपरी भाग में बायीं कक्षीय पार्श्व भाग से 3 सेमी नीचे प्रवेश का घाव है। उन्होंने 7 सेमी x 4 सेमी बायीं चूजे के ऊपरी भाग में जलने का क्षेत्र भी पाया है।

40. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतक के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर जलने के निशान थे और ***मोदी: ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी*** के अनुसार, इस तरह की चोट बहुत नजदीक से गोली लगने पर हो सकती है। इस संबंध में संदर्भ उपरोक्त पुस्तक, 23वें संस्करण के पृष्ठ 721 से लिया जा सकता है, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> "अगर आग्नेयास्त्र शरीर के बहुत करीब या वास्तविक संपर्क में छोड़ा जाता है, तो प्रवेश के घाव के चारों ओर दो या तीन इंच के क्षेत्र में चमड़े के नीचे के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और आस-पास की त्वचा आमतौर पर धुएं से झुलस जाती है और काली हो जाती है और बारूद या धुआं रहित प्रणोदक पाउडर के बिना जले कणों से टैटू बन जाती है। आस-पास के बाल झुलस जाते हैं, और उस हिस्से को ढकने वाले कपड़े लौ से जल जाते हैं। अगर पाउडर धुआं रहित है, तो घाव के आसपास की त्वचा पर भूरे या सफेद रंग का जमाव हो सकता है। अगर उस क्षेत्र की तस्वीर इंफ्रारेड लाइट से ली जाए, तो घाव के चारों ओर धुएं का घेरा साफ देखा जा सकता है। अगर शॉटगन जैसे आग्नेयास्त्र को तीन फीट से कम की दूरी से और रिवॉल्वर या पिस्तौल को करीब दो फीट की दूरी से छोड़ा जाए, तो कालापन पाया जाता है। पाउडर के अवशेष की अनुपस्थिति में, दूरी के मामले में एक दूरी

की गोली और दूसरी के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। बाद के आग्नेयास्त्रों के मामले में झुलसना कुछ इंच के भीतर देखा जाता है, जबकि शॉटगन के मामले में झुलसने के कुछ सबूत एक से तीन फीट की दूरी पर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा, ये संकेत तब भी नहीं दिखाई देते जब हथियार को शरीर की त्वचा पर कसकर दबाया जाता है, क्योंकि विस्फोट की गैसें और ज्वाला का धुआं और बारूद के कण सभी शरीर में गोली के निशान का अनुसरण करेंगे। बारिश से त्वचा या कपड़ों के भीगने से झुलसने की सीमा कम हो जाती है। गीली सतह से कालापन प्रभावित नहीं होता है, हालांकि इसे गीले कपड़े से आसानी से हटाया जा सकता है। उच्च शक्ति वाली राइफल से कालापन लगभग एक फीट तक हो सकता है। आमतौर पर अगर बिना जले पाउडर के कण हैं, तो संकेत यह है कि गोली रिवॉल्वर या पिस्तौल से चलाई गई थी और इस्तेमाल किए गए हथियार की बैरल जितनी छोटी होगी, बिना जले या थोड़े जले पाउडर के कणों की मौजूदगी की संभावना उतनी ही अधिक होगी।"

41. इस प्रकार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रविष्ट 4) से भी अभियोजन पक्ष का मामला पुष्ट हुआ है कि मृतक की मृत्यु बहुत नजदीक से बन्दूक से मारी गई गोली से हुई थी।

42. इसके अलावा, पी.डब्लू.3 ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपीलकर्ता छोटू सिंह को मृतक को बहुत नजदीक से गोली मारते हुए देखा था और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस तथ्य की पुष्टि डॉक्टर की गवाही से हुई है जिसने बाएं चूजे में जलने का घाव पाया है जो कि संभव है यदि गोली बहुत नजदीक से मारी गई हो।

43. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी छोटू सिंह द्वारा मृतक पर चलाई गई गोली का संबंध है, इस न्यायालय का, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, यह मत है कि पी.डब्लू.3 की गवाही विश्वसनीय एवं भरोसेमंद कही जा सकती है।

44. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि गवाहों में परस्पर विरोधाभास है तथा अधिकांश गवाह आपस में संबंधित एवं हितबद्ध गवाह हैं, ऐसे में अभियोजन का कथन विश्वसनीय नहीं है।

45. उपर्युक्त तर्क में, कानून यह अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल इसलिए कि गवाहों की गवाही में कुछ विरोधाभास और विसंगतियां हैं, यह अभियोजन पक्ष की कहानी को खराब करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मुकेश कुमार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)** के मामले में माना है, (2015) 17 एससीसी 694 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें पैराग्राफ -8 में, यह निम्नानुसार माना गया है:

> "8. जबकि अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक कथन और एफआईआर कथन में मामूली अंतर को पीडब्लू 6 की जिरह द्वारा उचित रूप से समझाया गया है, यह हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में मामूली विसंगतियां, अलंकरण और विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले के आवश्यक ढांचे को नष्ट नहीं करते हैं, जिसका मूल अप्रभावित रहता है। भले ही हमें यह मान लेना पड़े कि प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में कुछ अप्राकृतिक विशेषताएं हैं, लेकिन कानून के एक स्वीकृत प्रस्ताव पर इसे उचित रूप से समझाया जा सकता है कि अलग-अलग व्यक्ति एक ही स्थिति पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे और अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी पी.डब्लू 1 और 2 के आचरण की शुद्धता का न्याय करने के लिए कोई समान या स्वीकृत आचार संहिता नहीं हो सकती है। पी.डब्लू 5 और 6 और पी.डब्लू 1 और 2 और मृतक के बीच संबंध, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अपने आप में, उक्त गवाहों की गवाही को बदनाम नहीं करेगा। पी.डब्लू 1 और 2 के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके कथन को स्वीकार करने के योग्य नहीं बनाता है और विस्तृत जांच में उनकी गवाही अडिग है। जिरह की गई।"

46. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, (2012) 7 एससीसी 646** में रिपोर्ट की, जिसमें पैराग्राफ 46 और 49 में, यह माना गया है, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

> "46. फिर, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में कुछ विसंगतियां और विरोधाभास हैं क्योंकि इन गवाहों ने अलग-अलग समय दिया है कि उन्होंने अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ हाथापाई और गला घोंटने को कब देखा था। यह सच है कि पी.डब्लू 8, पी.डब्लू 17 और पी.डब्लू 19 द्वारा दिए गए समय में कुछ भिन्नता है। इसी तरह, पी.डब्लू 7, पी.डब्लू 9 और पी.डब्लू 11 के बयान में कुछ भिन्नता है। पी.डब्लू 2, पी.डब्लू 4 और पी.डब्लू 6 के बयानों में भी अपराध करने के लिए अभियुक्त के मकसद के बारे में कुछ भिन्नताएं बताई गई हैं। निस्संदेह, इन गवाहों के बयानों में कुछ छोटी-मोटी विसंगतियां या भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। लेकिन न्यायालय को यह देखना है कि क्या ये भिन्नताएं महत्वपूर्ण हैं और अभियोजन पक्ष के मामले को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। हर भिन्नता अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। 49. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को गवाह के बयान की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और उक्त कथन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। किसी तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अन्य गवाहों के बयान के साथ-साथ बयान को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी गवाह के बयान को आंशिक रूप से और/या अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। हम इन गवाहों के बयान में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण या गंभीर विरोधाभास नहीं देख पा रहे हैं जिससे अभियुक्त को कोई लाभ मिल सके।

47. इस प्रकार, कानून के उपरोक्त प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में छोटी-मोटी विसंगतियां, अलंकरण और विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले के आवश्यक ढांचे को नष्ट नहीं करते हैं, जिसका मूल अप्रभावित रहता है।

48. वास्तव में, वर्तमान मामले में मृतक की हत्या के समय के संबंध में गवाहों की गवाही में कुछ परस्पर विरोधाभास है।

49. इसके अलावा, पी.डब्लू.3 द्वारा एक अन्य बिन्दु यह भी कहा गया है कि मुखबिर और अन्य लोग मृतक की हत्या के एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि पी.डब्लू.1 ने कहा है कि पी.डब्लू.3 से सूचना मिलने के बाद वह एक मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गया था।

50. इसके अलावा, पी.डब्लू.6 ने कहा है कि जब उसने पी.डब्लू.3 से खबर सुनी तो वह घटनास्थल की ओर दौड़ा और वहां पहुंचा तथा उसने आरोपियों को भागते हुए देखा, फिर उसने भी आरोपियों का पीछा किया लेकिन वे भागने में सफल हो गए।

51. जैसा कि बताया गया है, यद्यपि पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.6 द्वारा अभियुक्तों का पीछा करने के बारे में दिए गए साक्ष्य में कुछ विरोधाभास है, किन्तु पी.डब्लू.3 द्वारा अभियुक्त छोटू सिंह द्वारा जानलेवा गोली चलाने और अभियुक्तों को घटनास्थल से भागते हुए देखे जाने के बारे में दिए गए साक्ष्य को बचाव पक्ष ने नहीं झुठलाया है, क्योंकि पीछा करने के बारे में दिए गए ऐसे साक्ष्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

52. हमारे विचार में उपरोक्त विरोधाभास को ऊपर उद्धृत निर्णय के मद्देनजर प्रमुख विरोधाभास नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जिस समय किसी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की घटना घटती है, उस समय उसकी मानसिकता सामान्य अवस्था में नहीं होती और जब वे न्यायालय में अपनी गवाही देते हैं, तो वे घटना को याद करके ट्रायल कोर्ट के सामने बयान करते हैं और ऐसे में न्यायालय यह उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसे गवाह घटना का विस्तृत विवरण देंगे।

53. इसके अतिरिक्त यह तर्क भी उठाया गया है कि अधिकांश गवाह हितबद्ध और संबंधित गवाह हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष के मामले का कोई स्वतंत्र आधार नहीं है।

54. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का यह तर्क कि गवाह करीबी रिश्तेदार हैं और इसलिए पक्षपातपूर्ण गवाह हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, कोई आधार नहीं रखता। इस सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1953 एससी 364** में खारिज कर दिया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में व्याप्त इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। प्रासंगिक पैराग्राफ-26 इस प्रकार है:

> "26. एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जो दागी होने की संभावना रखते हैं और इसका मतलब आम तौर पर यह होता है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसे कारण न हों, ताकि वह उसे झूठा फंसाना चाहे। आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को छिपाने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होता है। यह सच है, जब भावनाएँ प्रबल होती हैं और दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत कारण होते हैं, तो एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ गवाह के पास कोई दुश्मनी है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार बनाया जाना चाहिए और केवल संबंध का तथ्य आधार होने से बहुत दूर अक्सर सत्य की निश्चित गारंटी होती है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का न्याय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे अवलोकन केवल उन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए किए गए हैं जो अक्सर हमारे सामने मामलों में विवेक के सामान्य नियम के रूप में सामने रखी जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए और उसके द्वारा शासित होना चाहिए।"

55. फिर से, **मसलती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1965 एससी 202** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी

आपराधिक न्यायालय को पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सराहना करनी होती है, तो उसे ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। साक्ष्य में विसंगतियां हैं या नहीं; साक्ष्य न्यायालय को वास्तविक लगता है या नहीं, साक्ष्य द्वारा बताई गई कहानी संभावित है या नहीं, ये सभी मामले हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध गवाहों का साक्ष्य है। अक्सर, जहां गांवों में गुटबाजी होती है और ऐसे गुटों के बीच दुश्मनी के परिणामस्वरूप हत्याएं की जाती हैं, आपराधिक न्यायालयों को पक्षपातपूर्ण प्रकार के ऐसे साक्ष्य से बहुत सावधानी से निपटना पड़ता है। केवल इस आधार पर ऐसे साक्ष्य को यांत्रिक रूप से खारिज करना कि यह पक्षपातपूर्ण है, हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा। इस बारे में कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता कि साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायिक दृष्टिकोण को ऐसे साक्ष्यों से निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए; लेकिन यह दलील कि ऐसे साक्ष्य को पक्षपातपूर्ण होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए, सही नहीं मानी जा सकती।

56. इसके अलावा, इस संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि अगर दोषसिद्धि केवल इच्छुक गवाह की गवाही पर आधारित है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मल्लन्ना और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 8 एससीसी 523** के मामले में माना है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है और न्यायालय के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि वह उनके साक्ष्य पर बहुत सावधानी और सतर्कता से विचार करे और यदि ऐसा साक्ष्य विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो न्यायालय उस पर अविश्वास कर सकता है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

> "22. पी.डब्लू 1, पी.डब्लू 2 और पी.डब्लू 3 के साक्ष्य पर हमला करने का एक और आधार यह है कि इन गवाहों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

पी.डब्लू 1 और पी.डब्लू 2 मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और पी.डब्लू 3 उसका अंगरक्षक है क्योंकि, निर्विवाद रूप से, मृतक और आरोपी व्यक्तियों के बीच दुश्मनी थी, खासकर जब इन गवाहों को स्टाम्प गवाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है। हमारे विचार में, केवल इसलिए कि गवाह रिश्तेदार हैं या हितबद्ध हैं या घायल नहीं हैं, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है यदि उन्हें अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है, खासकर जब उन्होंने भौतिक विवरणों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। तीनों प्रत्यक्षदर्शी, पी.डब्लू 1, पी.डब्लू 2 और पी.डब्लू 3 प्राकृतिक गवाह हैं। पी.डब्लू 3 निर्विवाद रूप से मृतक का अंगरक्षक था और पी.डब्लू 1 और पी.डब्लू 3 मृतक के साथ पी.डब्लू 2 के घर आए थे जो कि पिछली रात गुलबर्गा में मृतक के खिलाफ लंबित सत्र परीक्षण में पेश होने के लिए था। गुलबर्गा की अदालत में पेश किया गया और सुबह वे सभी अदालत में गए, जहां यह घटना दिन के उजाले में हुई थी। जहां तक पी.डब्लू 2 का सवाल है, आगे यह दलील दी गई है कि उसके साक्ष्य को इस आधार पर भी खारिज कर दिया जाना चाहिए कि उसने डॉक्टर (पीडब्लू 6) के सामने यह बयान दिया था कि ए-4 भी हमलावर था, जैसा कि प्रदर्श पी-10 से पता चलता है, जो अस्पताल में विधिवत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज एक प्रविष्टि है, जो दर्शाती है कि उसने घटना नहीं देखी थी।"

57. इसी प्रकार, **कुलेश मोंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2007) 8 एससीसी 578** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-10 निर्धारित किया है जो इस प्रकार है:

"10. हम यह भी देख सकते हैं कि यह आधार कि [गवाह निकट संबंधी हैं और फलस्वरूप पक्षपातपूर्ण गवाह हैं] पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, कोई आधार नहीं रखता है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय ने दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1953 एससी 364] में पहले ही खारिज कर दिया था, जिसमें बार के

सदस्यों के मन में व्याप्त इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि संबंधी स्वतंत्र गवाह नहीं होते हैं।

58. इस प्रकार, कानून की पूर्वोक्त स्थापित प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्यायालय को उन गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होगा जो पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध हैं और यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध गवाहों का साक्ष्य है।

59. अब इस मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 3, जो घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने आरोपी/अपीलकर्ता छोटू सिंह को मृतक के सिर के पीछे से रिवॉल्वर से गोली चलाकर मृतक पर हमला करते देखा था। इसके अलावा इस न्यायालय ने पिछले पैराग्राफ में एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही को विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया है और इस गवाह की गवाही मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तरह से पुष्ट हुई है।

60. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह की दोषसिद्धि पूर्णतः स्थापित हो चुकी है और विद्वान विचारण न्यायालय ने पी.डब्लू.-3 की गवाही के आधार पर अपीलार्थी छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह को मृतक की हत्या के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है।

61. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, यह न्यायालय इस विचाराधीन है कि अपीलार्थी छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

62. तदनुसार, अपीलकर्ता छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए/26, 27 सहपठित 35 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

63. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील (डी.बी) संख्या 1819/2017 को खारिज किया जाता है।

64. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील (डी.बी) संख्या 1819/2017 में दायर आईए संख्या 3435/2021 भी खारिज की जाती है।

<u>आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1707/2017</u>

65. जहां तक अपीलकर्ता अर्थात राजेश गोप (सीआरपीसी की अपील (डीबी) में अपीलकर्ता) की दोषसिद्धि का संबंध है, यह न्यायालय विद्वान न्यायमित्र के तर्क की सराहना करना उचित समझता है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि मृतक की हत्या के संबंध में अपीलकर्ताओं के बीच कोई सामान्य इरादा नहीं है और, इस तरह, अपीलकर्ता राजेश गोप को आईपीसी की धारा 34 का सहारा लेकर आईपीसी की धारा 302 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और घटनास्थल पर किसी की उपस्थिति मात्र से उसे कथित अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

66. विद्वान न्यायमित्र ने आगे तर्क दिया कि अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अपीलकर्ता राजेश गोप किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य में लिप्त था, जिसके आधार पर सामान्य इरादे का कोई अनुमान लगाया जा सके।

67. इस समय, उपर्युक्त संदर्भ में यह न्यायालय धारा 34 आईपीसी के दायरे और मूल पर चर्चा करना उचित समझता है। धारा 34 आईपीसी जो साक्ष्य के नियम के अलावा और कुछ नहीं है, यह प्रदान करती है कि:

> *"34. कई व्यक्तियों द्वारा समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य। - जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।"*

68. धारा 34 को आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। वर्ष 1870 में इसमें 'व्यक्तियों' के बाद और 'प्रत्येक' शब्द के पहले 'सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए' शब्दों को जोड़कर संशोधन किया गया, ताकि धारा 34 का उद्देश्य स्पष्ट हो सके।

69. यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और यह कोई ठोस अपराध नहीं बनाती। इस धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है, यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

70. समान आशय के आरोप को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि जिस अपराध के लिए उन पर धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया है, उसे करने के लिए सभी अभियुक्तों की योजना थी अथवा उनके विचार एकमत थे, चाहे यह पूर्वनियोजित था अथवा क्षणिक प्रेरणा से किया गया था; किन्तु यह आवश्यक रूप से अपराध के किए जाने से पूर्व ही होना चाहिए।

71. धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अलावा कि दो या अधिक अभियुक्त होने चाहिए, दो कारक स्थापित होने चाहिए: (i) सामान्य इरादा, और (ii) किसी अपराध के कमीशन में अभियुक्त की भागीदारी। यदि सामान्य इरादा साबित हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत अभियुक्त पर कोई प्रत्यक्ष कार्य आरोपित नहीं किया जाता है, तो धारा 34 लागू होगी क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि दायित्व शामिल है।

72. लेकिन अगर अपराध में अभियुक्त की भागीदारी साबित हो जाती है और सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 लागू नहीं की जा सकती। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि आपराधिक कृत्य करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की वास्तविक भागीदारी सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्व सहमति से की गई थी। इसलिए, सामान्य इरादे के आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन

पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि किसी व्यक्ति को दूसरे के कृत्य के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले अपराध करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों की योजना या मन की बैठक थी।

73. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य [एआईआर 1955 एससी 216]** के मामले में पैराग्राफ 32 और 33 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "32. ... इसके लिए पहले से तय योजना की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कृत्य के लिए परोक्ष रूप से दोषी ठहराए जाने से पहले, यह कृत्य उन सभी की समान मंशा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए: महबूब शाह बनाम किंग एम्परर [(1944-45) 72 अन्तरवर्ती आवेदन 148] (IA pp. 153-54)। तदनुसार, पहले से ही विचारों का मिलन होना चाहिए। कई व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं और प्रत्येक का इरादा एक ही हो सकता है, यानी मारने का इरादा, और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग घातक प्रहार कर सकता है और फिर भी किसी का भी इस धारा द्वारा अपेक्षित समान इरादा नहीं होगा क्योंकि पूर्व-व्यवस्थित योजना बनाने के लिए विचारों का कोई पूर्व मिलन नहीं था। ऐसे मामले में, प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा पहुंचाई गई चोट के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और यदि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता कि उसका अलग वार घातक था, तो उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हालाँकि उसके मामले में हत्या करने का इरादा स्पष्ट रूप से साबित किया जा सकता है: बरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर [(1924-25) 52 आईए 40: एआईआर 1925 पीसी 1] (आईए पृष्ठ 49) और महबूब शाह बनाम किंग एम्परर [(1944-45) 72 अन्तरवर्ती आवेदन 148]। जैसा कि उनके माननीयों ने बाद के मामले में कहा है (महबूब शाह मामला [(1944-45) 72 आईए 148], आईए पृष्ठ 154), 'वह विभाजन जो "उनकी सीमाओं" को विभाजित करता है, अक्सर बहुत पतला होता है; फिर भी, अंतर वास्तविक और

पर्याप्त है, और यदि अनदेखा किया जाता है, तो न्याय की विफलता होगी'। 33. योजना को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, यह अचानक से उत्पन्न हो सकता है और बन सकता है, उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने में मदद करने के लिए आस-पास खड़े लोगों को बुलाता है और वे, अपने शब्दों या अपने कार्यों से, उसे अपनी सहमति दिखाते हैं और हमले में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तब मन की आवश्यक बैठक होती है। एक पूर्व-व्यवस्थित योजना है, हालांकि जल्दबाजी में बनाई गई और अशिष्टता से कल्पना की गई। लेकिन पूर्व-व्यवस्था और पूर्व-निर्धारित सहमति होनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है, जैसा कि बाद के प्रिवी काउंसिल मामले में, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा रखना उदाहरण के लिए दूसरे को बचाने का इरादा और, यदि आवश्यक हो, तो विरोध करने वालों को मार डालना।

74. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1975) 3 एससीसी 731]** में पैराग्राफ 9 में इस प्रकार टिप्पणी की है:

"9. ... सामान्य इरादा किसी विशेष अपराध को अंजाम देने का होना चाहिए, हालाँकि वास्तविक अपराध समान इरादे वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तभी दूसरों को दोषी माना जा सकता है।"

75. **धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य [(1978) 4 एससीसी 440]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 34 आईपीसी लागू होने पर परीक्षण निर्धारित किया है और पैराग्राफ 14 और 15 में निम्नानुसार माना है:

"14. ऐसा हो सकता है कि जब कुछ लोग किसी छोटे अपराध को करने के लिए पहले से ही योजना बनाकर काम शुरू करते हैं, तो वे छोटे अपराध को करने के दौरान बड़े अपराध को करने के लिए भी एक समझौते पर पहुँच सकते हैं। इस तरह की समझ मुख्य अपराधी के कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने वाले व्यक्तियों के आचरण से या किसी अन्य अपराध-सिद्ध साक्ष्य से प्रकट हो सकती

है, लेकिन आचरण या अन्य साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उस संबंध में संदेह की कोई गुंजाइश न रहे।

15. प्रतिनिधि दायित्व तय करने वाली आपराधिक अदालत को मुख्य अपराधी और उसके साथियों के मन की पूर्व बैठक के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए, जिन्हें पूर्व द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के संबंध में रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाया जाना है। हमारे ज्ञान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि मुख्य अपराधी के साथ जाने वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य के संबंध में उसके इरादे को साझा करता है जिसे बाद में बाद में किया जा सकता है। सामान्य इरादे का अस्तित्व या नहीं होना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुख्य अपराधी और उसके साथियों का किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने का इरादा जो झगड़े को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, मुख्य अपराधी के साथ आने वाले व्यक्तियों के आचरण या किसी अन्य स्पष्ट और ठोस सबूत से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी सामग्री की अनुपस्थिति में, साथी या साथियों को मुख्य अपराधी द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए उचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। (जोर दिया गया)

76. **बृजलाला पंडित सिन्हा बनाम बिहार राज्य [(1998) 5 एससीसी 699]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट एवं स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया था कि:

"11. ... जब तक कि साबित परिस्थितियों से आवश्यक निष्कर्ष के रूप में एक सामान्य इरादे की पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक आरोपी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए। धारा 34 के प्रयोजनों के लिए सामान्य इरादे का अनुमान लगाने के लिए, साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों को बिना किसी संदेह के यह स्थापित करना चाहिए कि विभिन्न आरोपियों के बीच विचारों का मिलन और विचारों का संलयन हुआ था और इसके अभियोजन में, आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य एक ही दिमाग

के आदेश का पालन करते हुए हुए थे। यदि साक्ष्य के आधार पर, सामान्य इरादे में किसी विशेष आरोपी की संलिप्तता के बारे में संदेह है, तो संदेह का लाभ उक्त आरोपी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।"

77. **सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2001) 3 एससीसी 673]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई पूर्व निर्णयों और प्रिवी काउंसिल के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि:

> "31. यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि किसी व्यक्ति को, केवल इसलिए कि वह घटनास्थल पर या उसके निकट मौजूद था, बिना कुछ और किए, बिना हथियार लिए और बिना अन्य हमलावरों के साथ मार्च किए, अन्य अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध के लिए धारा 34 आईपीसी की सहायता से दोषी ठहराया जा सकता है।"

78. इस मामले का मूल्यांकन उपरोक्त कानूनी स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्लू-3 ने अपने साक्ष्य में अपीलकर्ता राजेश गोप के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष या गुप्त कृत्य का आरोप नहीं लगाया है।

79. इसके अतिरिक्त, कोई भी ऐसी परिस्थिति रिकार्ड पर नहीं लाई गई, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलकर्ता राजेश गोप और अपीलकर्ता छोटू सिंह की समान मंशा थी और ऐसी समान मंशा को आगे बढ़ाने के लिए उसने मृतक की हत्या की।

80. यदि एफआईआर की विषय-वस्तु और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को एक साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता राजेश गोप किसी भी घातक हथियार से लैस नहीं था, न ही राजेश गोप के खिलाफ कोई आरोप है और न ही कोई सबूत है कि मृतक की हत्या करने के लिए उसने अपीलकर्ता के साथ साझा इरादा साझा किया था।

81. इसके अलावा, इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि दोनों के बीच पहले से कोई विचार-विमर्श हुआ था, जो क्षण भर में उत्पन्न हुआ और अपीलकर्ता राजेश गोप ने समान इरादे

के तहत मृतक पर गोली चलाने में अपीलकर्ता छोटू सिंह की मदद की, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई।

82. इसके अलावा, अपीलकर्ता राजेश गोप और अपीलकर्ता छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह के बीच किसी पूर्वचिंतन का कोई सबूत नहीं है।

83. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अर्थात, अपीलकर्ता राजेश गोप के पास अपराध के कमीशन में भाग लेने का कोई विशेष मकसद नहीं था, मृतक या उसके परिवार के साथ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, और उसे अन्य अभियुक्त/छोटू सिंह का मित्र, रिश्तेदार या भाड़े का व्यक्ति नहीं दिखाया गया है, हम इस राय के हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता राजेश गोप की ओर से किसी भी सामान्य इरादे को साबित करने में विफल रहा है, क्योंकि मृतक की हत्या की पूर्व-योजना में भाग लेने या अपराध के स्थान पर मौजूद होने के दौरान ऐसा करने के लिए सामान्य इरादे को विकसित करने के लिए उसके किसी भी मकसद या कारण का कोई संकेत नहीं है।

84. अभियोजन पक्ष के गवाहों, खास तौर पर मुखबिर के साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय के मन में अपीलकर्ता राजेश गोप की इस अपराध में मिलीभगत के बारे में और संदेह पैदा होता है। हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में मुखबिर ने यह बयान दिया था कि उसने अपीलकर्ता राजेश गोप को कथित अपराध के मुख्य निष्पादक छोटू सिंह के साथ भागते हुए देखा था, लेकिन जिरह में पी.डब्लू-3 के बयान से यह स्पष्ट है कि मुखबिर अन्य गवाहों के साथ घटनास्थल पर काफी समय बीतने के बाद पहुंचा था। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जहां तक अपीलकर्ता राजेश गोप की किसी प्रत्यक्ष कृत्य के माध्यम से प्रश्नगत अपराध में सक्रिय भागीदारी का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है।

85. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी व्यक्तियों को अगले दिन पुलिस द्वारा दूसरे गांव से गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पी.डब्लू-3 ने कहा है कि ग्रामीण एकत्र हुए और ग्रामीणों ने आरोपियों की तलाशी ली और उन्हें हथियार के

साथ पकड़ लिया और उन्हें लापुंग पुलिस को सौंप दिया। लेकिन, गिरफ्तारी ज्ञापन, हथियार की बरामदगी जैसे प्रलेखों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीणों द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कब और कहां पकड़ा गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा इस कथन की पुष्टि नहीं की गई है।

86. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस मामले में छोटू सिंह उर्फ अजय सिंह द्वारा मृतक पर जानलेवा हमला उसका व्यक्तिगत कृत्य था। हत्या करने के किसी साझा इरादे का कोई सबूत नहीं है। परिस्थितियाँ हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य नहीं करती हैं कि दोनों अपीलकर्ताओं ने मिलकर हत्या करने का साझा इरादा साझा किया था और इस साझा इरादे को आगे बढ़ाने के लिए छोटू सिंह ने मृतक की गोली मारकर हत्या कर दी।

87. ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, यह न्यायालय इस राय का है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है, न कि विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर, जबकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता राजेश गोप के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।

88. जैसा भी हो, चूंकि अपीलकर्ता राजेश गोप के खिलाफ सबूत कमजोर हैं और उसके खिलाफ अपराध साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए हम पाते हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अपीलकर्ता राजेश गोप को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

89. उपलब्ध साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने तथा ऊपर उल्लिखित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता राजेश गोप के विरुद्ध लगाए गए आरोप, जो उसे छोटू सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत हत्या के आपराधिक कृत्य के लिए रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाते हैं, सिद्ध नहीं होते।

90. चूंकि अभियोजन पक्ष धारा 34 आईपीसी का सहारा लेकर अपीलकर्ता राजेश गोप के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए सत्र

परीक्षण संख्या 186/2013/ट्र. संख्या 94/2016 में विद्वान अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-VIII, रांची द्वारा पारित दिनांक 04.08.2017 का दोषसिद्धि का निर्णय और दिनांक 07.08.2017 का सजा का आदेश, जिसमें अपीलकर्ता राजेश गोप को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई थी, को रद्द किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता राजेश गोप जमानत पर है, इसलिए उसे उसके जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

91. तदनुसार, आपराधिक अपील (डी.बी) संख्या 1707/2017 को स्वीकार किया जाता है।

92. निचली अदालत के अभिलेखों को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तत्काल संबंधित अदालत को वापस भेजा जाए।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

मैं सहमत हूं।

(अरुण कुमार राय, जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 25 अप्रैल, 2024।
बीरेंद्र/एनएएफआर

अनुवादक : एडवोकेट मधु कुमारी